"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-2.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 जनवरी, 2014 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2, दिनांक 1 जनवरी, 2014 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में, "छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012" को "छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Raipur, the 17th May 2016

CORRIGENDUM

No. F 10-64/Food/ 2009/29-2.— In the Hindi and English version of the Notification number F 10-64/ 2009/29/ Food-2, dated 1st January 2014 related to the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012 (No. 5 of 2013) as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra ordinary), dated 1st January 2014, for "the Chhattisgarh Food Security Act, 2012" read "the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-2.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जनवरी, 2014 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2, दिनांक 8 जनवरी, 2014 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में, "छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012" को "छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Raipur, the 17th May 2016

CORRIGENDUM

No. F 10-64/Food/ 2009/29-2.— In the Hindi and English version of the Notification number F 10-64/ 2009/29/ Food-2, dated 8th January 2014 related to the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012 (No. 5 of 2013) as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra ordinary), dated 8th January 2014, for "the Chhattisgarh Food Security Act, 2012" read "the Chhattisgarh Food & Nutrition Security Act, 2012".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .